

2022/336

महोदया,

प्रार्थी राजाराम पुत्र रणजीत सिंह जाति बिश्नोई, निवासी 1 डी छोटी, साधूवाली, तह. व जिला श्रीगंगानगर ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 16.11.2021 को एक बंद वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थी को गवाहान श्री सुमित कुमार पुत्र श्री शिवराज एवं श्री रवि कुमार पुत्र श्री विष्णु कुमार ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री रोबिन कुमार गुम्बरा अधिवक्ता ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थी को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय